न्यायालय अपर समाहर्त्ता गुमला अनुमति अपील वाद संख्या—41/2017—18 फगुवा उरॉव — अपीलार्थी बनाम

सुखराम जरांव वगै0 — जतरवादी आदेश

अपीलार्थी श्री फगुवा उरॉव पिता—स्व0 लगनू उरॉव ग्राम—छोटा लोरों पोस्ट— नवाडीह श्वाना+जिला—गुमला ने भूमि सुघार उप समाहर्त्ता, गुमला के अनुमित वाद सं0—329 / 2017—18 में दिनांक—11.12.2017 को पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर उपायुक्त गुमला के न्यायालय में अपील दायर किया गया है। उपायुक्त गुमला के न्यायालय से यह अपील वाद सुनवाई हेतु अघोहस्ताक्षरी के न्यायालय में हस्तांतरित किया गया है। तदनुसार उत्तरवादी को नोटिस निर्गत करते हुए सुनवाई प्रारंभ की गई।

अमिलेख फलक के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी एवं उत्तरवादी लगातार कई तिथियों से अनुपस्थित है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को इस वाद से कोई अमिरुची नहीं रह गई है।

अतः अपील वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। कार्यवाहक सहायक को निदेश दिया जाता है कि निम्न न्यायालय का अभिलेख

आदेश की प्रति के साथ वापस की जाय।

अपरे समाहर्त्ता,

गुमला